:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 5/19 निर्णय दिनांकः– 22.06.2022

1. श्री मणिलाल पिता बदिया मीणा, जाति मीणा,उम्र 40 वर्ष, निवासी गुन्दलारा– छोटा फला, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर

अपिलार्थी

1. श्री लक्ष्मण मीणा पिता वालजी मीणा, उम्र वयस्क निवासी गुन्दलारा– छोटा फला, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर
2. श्री गट्टू मीणा पिता वालजी मीणा, उम्र वयस्क, निवासी गुन्दलारा– छोटा फला, तहसील चिखली
3. श्रीमती सेवन बेवा स्व. वालजी मीणा, उम्र वयस्क, निवासी गुन्दलारा– छोटा फला, तहसील चिखली
4. श्री लक्ष्मण मीणा पिता वाला भगोरा मीणा उम्र वयस्क निवासी गुन्दलारा– छोटा फला, तहसील चिखली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिखली, तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

रेस्पोडेंट

अपील अनतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
अपील नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 20.01.2014

उपस्थित : वकील अपीलार्थी अनुपस्थित
वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित

अपीलांट के अपील का संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि ग्राम गुन्दलारा छोट फला, पटवार हल्का गुन्दलारा, भू–अभिलेख निरक्षक क्षेत्र कुंआ, तहसील चिखली जिला डूंगरपुर में खसरा नम्बर 280, 281, 282, 442, 443, 446, 447, 448, 498, 511, 513 किता 11 कुल रकबा 10.16 कृषि भूमि स्थित है।

यह कि उक्त भूमि कृषि भूमि अपीलांट के पिता स्वं बदिया जी के नाम पर बतौर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, बदीया जी के देहवसान के बाद मणिलाल व वाला के नाम दर्ज हुई। वाला की मृत्यु लाऔलाद हो गयी। एक मात्र वारिस मणिलाल अपीलान्ट ही रहा।
यह कि नामान्तकरण संख्या 25 जो पारित किया गया दिनांक 20.01.2014 को पटवार मण्डल, गुन्दलारा द्वारा विरासत के आधार पर खोला गया वह मणिलाल पिता बदिया 1/2 व लक्ष्मण, बापु, गट्टू पिता वाला जी एवं सेवन बेवा वालजी 1/2 अंकन कर दिया गया जबकि वास्तव में अपीलांट मणिलाल एकमात्र जीवत वारिस रहा वालजी छोटा भाई लाऔलाद फौत हो गया अपीलांट मणिलाल व वालजी के गौत्र मकवाना है जबकी पटवारी हल्का ने मसुरा के बेटे वाला जिनकी गौत्र मकवाना है। उक्त वाला की भी मृत्यु हो गयी और उनके वारिसान लक्ष्मण, बापु, गट्टू पिता वालजी एवं सेवन बेवा वालजी के नाम दर्ज कर दिया जबकि इन रेस्पोडेंट का इस कृषि भूमि में कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है और ना ही उत्तराधिकारी है उसके बावजूद भी गट्टू रेस्पोडेंट संख्या व रेस्पोंडेंट संख्या 3 श्रीमति सेवन ने रेस्पोडेंट संख्या 4 लक्ष्मण पिता वाला मीणा भगोरा के नाम पर एक नुमाईशी विक्रय पत्र भी निष्पादित कर दिया जबकी

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को ऐसा कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही था क्योंकि उक्त कृषि भूमि उनकी थी ही नही उनके नाम पर गलत दर्ज हो जोने से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने धोखाधहोकर डी पूर्वक यह जानते हुए भी उक्त कृषि भूमि हमारी नहीं है और ना ही हमारे पिता की है उक्त कृषि भूमि उनके दादा मसूरा पिता पुना मकवाना के नाम पर होती या बाद में वाला मकवाना के नाम पर आयी होती तो उनके अन्य भाई राजमल, भगवना, व चम्पा के नाम भी आती केवल मात्र उक्त जमाबंदी में एक से अधिक वाला नाम के व्यक्ति एक ही गांव में इक्ट्ठा हो जाने से पटवरी हल्का ने तथ्यों की सही जॉच नहीं कर व गहराई से पुछताछ व दस्तावेजी रिकॉर्ड देखे बगेर ही नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 20.01.2014 को पारित कर दिया जो कि अवैध होकर कानूनन शुन्य है तथा प्रारंभ से ही एवएबीनिशो वोईड है अर्थात प्रारम्भ से ही शून्य है। यह कि ऐसे नामान्तरण के आधार पर रेस्पोंडेंट को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही होते है क्योकि नामांतरण की प्रकिया एक फिस्कल प्रोसेडिंग है यानि समरी प्रकिया है ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के कानूनी हक व संवैधानिक अधिकरों को ऐसे प्रकिया में तय नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नामांतरण संख्या 25 निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेंट को तलब किया गया । दिनांक 17.09.19 रेस्पोडेंट 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता कालूराम ने जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 27.11.2019 को पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.12.2019 नियत की गयी। दिनांक 04.02.2022 को रेस्पोंडेंट 1 से 3 अनुपस्थित रहे इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। दिनांक 08.04.2022 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 के अधिवक्ताओं के द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। जो शा0 पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थि द्वारा ओर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । अपीलार्थी द्वारा की गयी अपील खारीज होने योग्य है एवं नामांतरण संख्या 25 दिनांक 20.01.2014 में भी किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पायी गयी।

अतः अपीलार्थी की अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को सरेईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली